

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ.

संख्या 179-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08

दि० 19 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01.01.2006 की पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन की दरों में संशोधन।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खंड-2 भाग-2 से 4 मूल नियम-9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दि० 01, दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें दि० 01.12.08 से लागू				
क्रम सं०	दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से लागू वेतन बैंड	सादृश्य ग्रेड-पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
1.	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	210
2.	3200-85-4900	5200-20200	2000	
3.	3500-85-5455	5200-20200	2200	
4.	4200-100-6400	5200-20200	2600	
5.	4500-125-7500	5200-20200	3000	250
6. (क)	5300-150-8600	9300-34800	4200	400
(ख)	5300-150-5600-175-9100			
7.	5850-175-9000-200-9400	9300-34800	4200	
8.	6000-200-10400	9300-34800	4200	
9.	6500-200-10500-250-11000	9300-34800	4400	

Handwritten signature

(कमश: - 2)

(2)

10.	8550-275-13500	15600-39100	5400	550
11.	10650-325-15200	15600-39100	6600	650
12.	14300-400-18300	37400-67000	8700	800
13.	16400-450-20000	37400-67000	8900	900
14.	18400-500-22400	37400-67000	10000	1000
15.	21350-525-23975	37400-67000	11000	1000

3- उर्पयुक्त विषयक आदेश संख्या 556-जी/राविप-एक-52ए/1980 दिनांक 24.02.1981 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। सम्बन्धित आदेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- दिनांक 01.12.2008 से 31.07.2009 तक की अवधि के अवशेषों का आहरण कारपोरेशन के आदेश संख्या 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दि० 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-20 के अनुसार अनुमन्य कराया जायेगा

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(H.K.)

(हरिश्चन्द्र सिंह)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 179 (1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
- 2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।

(कमश: - 3)

(3)

- 9- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० - 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 20- कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,


(बालकृष्ण भट्ट)
अपर सचिव